

अहमद ह. उन्
मंत्री
परिवार कल्याण



कार्यालय : 2238213
दूरभाष- सो. एच. : 3307
आवास : 2309736
2309466

विधान भवन
लखनऊ


दिनांक _____ 200

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2004 पर उत्तर प्रदेश नर्सिंग हो एसोसियेशन के पत्र दिनांक 14.03.07 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो PPNDT अधिनियम के अन्तर्गत जेनेटिक काउंसिलिंग सेंटर पंजीकृत करने के सम्बन्ध में है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस Act की गलत व्याख्या कर के डाक्टरों का शोषण किया जा रहा है तथा इस तरह का आदेश देश के किसी भी भाग में नहीं है।

अतः प्रार्थना -पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की, जाँच कर आवश्यक कार्रवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यद्योक्त पत्र परिवार कल्याण


15-03-07
(अहमद ह. उन्)
मंत्री
परिवार कल्याण
लखनऊ